ACM आदेश

फर्द अहकाम

रमेश चंद बनाम विकास जांगिड़

न्यायालय

संख्या 04/23 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा मित्रस्तुत सम सी	विशेष विवरण
	10-2-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ०उप० सम्पत्ताव के कारण आदेश जारी नहीं किये गये। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14-2-2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मोहर)	
	14-2-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप० प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा-151 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मोहर)	

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

विशेष वि

वाद संख्या 4 / 2023 निर्णय दिनांक : 14.02.2023

रमेश चंद जांगिड पुत्र स्व. श्री रामनारायण जाति– खाती, निवासी – खातियों की ढाणी, ग्राम पूनाना, पोस्ट पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

..... वादी

बनाम

1. विकास जांगिड पुत्र श्री कजोडमल
2. राकेश जांगिड पुत्र श्री कजोडमल
   समस्त जाति– खाती, समस्त निवासी खातियों की ढाणी, ग्राम पूनाना, विजयपुरा पोस्ट रायथल, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. कमलेश कुमार जांगिड पुत्र श्री नृसिंह लाल जांगिड, जाति–खाती, निवासी प्लॉट नंबर 4, ग्रीन पार्क–ई, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।
4. छीतर पुत्र गंगाराम, जाति–खाती, निवासी–विजयपुरा पोस्ट रायथल, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
5. महेश पुत्र श्री रामनारायण जाति–खाती, निवासी खातियों की ढाणी, ग्राम पूनाना, पोस्ट पूनाना तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. बाबूलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति खाती निवासी खातियो की ढाणी, ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. रामेश्वरी देवी पत्नी मोतीराम जाति जाट, निवासी–डूडियों की ढाणी, ग्राम पूनाना पोस्ट पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
8. गुमानी देवी पत्नी श्री सेवाराम, जाति जाट, निवासी–डूडियों की ढाणी, ग्राम पूनाना, पोस्ट पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
9. रामकिशोर पुत्र केशरमल
10. मोहनलाल पुत्र स्व. केशरमल
11. कैलाश पुत्र स्व. केशरमल
    समस्त जाति खाती निवासी ग्राम विजयपुरा पोस्ट रायथल, तहसील आमेर
12. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय
13. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय
14. राजूलाल पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय
    समस्त जाति खाती, समस्त निवासी तेजाजी के मन्दिर के पास, विजयपुरा पोस्ट रायथल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. देवीलाल पुत्र स्व. श्री वंशीधर जाति खाती निवासी विजयपुरा पोस्ट रायथल, तहसील आमेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

16. कजोडमल पुत्र स्व. श्री बंशीधर जाति खाती निवासी विजयपुरा पोस्ट रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जयपुर।
18. उप पंजीयक आमेर जयपुर।
19. थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर (पश्चिम)जयपुर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति :– (1) श्री लालचंद सैनी – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री रघुवीर सिंह राठौड –अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या –1 व 2 ओर से

दिनांकः–14.02.2023

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से 06.02.2023 को एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि मिन राजस्व. वाद बाबत बंटवार व स्थायी निषधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लेख करते हुए राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। राजस्व ग्राम पूनाना, पटवार हल्का पूनाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 13/1076, 14/1077, 16/1078, 17, 18/1079, 19/1080, 20/1081, 26/1082, 27, 28, 29 लगायत 39 कुल किता 21 कुल रकबा 5.69 हैक्टेयर बाबत वाद प्रस्तुत किया गया, जबकि वाद का राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राज दर्ज नहीं है, बिना खातेदार कृषक के कोई व्यक्ति तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी में आता है, इसलिए उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादी रमेश चंद पुत्र रामनारायण जाति खाती उक्त भूमि का खातेदार कृषक नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत वही वाद संधारण योग्य है जिनका नाम राजस्व भू–अभिलेखों अर्थात हाल जमाबंदी में अंकन होना आवश्यक होता है

सहायक कलक्टर
आमेर भू. जयपुर

और तकासमा/बंटवारा का वाद सह–खातेदार के मध्य ही संधारण योग्य होता है, बिना सह––खातेदार के तकासमा/बंटवारा का वाद लाने का वादी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा जब तक वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं कर लेता है, तब तक तकासमा/बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जिससे उक्त वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज होने योग्य है।

विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद में वादी रमेश चंद पुत्र स्व. रामनारायण जाति खाती ने प्रस्तुत किया है, जबकि वादी का राजस्व भू–अभिलेखों में रमेश चंद पुत्र स्व. रामनारायण जाति जाट सा0 देह विजयपुरा अंकित है। जब तक राजस्व इन्द्राजों की दुरुस्ती वादी द्वारा नहीं करवाई जाती तब तक उक्त वाद संधारण योग्य नहीं है व प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। वादी उक्त भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काश्तकार नही है और वादी द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त हाल खाता संख्या 64 के खातेदार कृषकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित किया गया, जिनका उक्त भूमि विवादग्रस्त का ना तो खातेदार कृषक व सह–कृषक नहीं होने के बावजूद विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी सर्वप्रथम उक्त भूमि का सह–कृषक नहीं है और वाद पत्र के अभिवचनों में भी अपने आपको सह–कृषक का अभिवचन करते हुए प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 16 के मध्य तकासमा/बंटवारा करवाने का कथन किया है, जबकि वादी रमेश चंद पुत्र रामनारायण जाति खाती व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 16 उक्त भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काश्तकार नहीं है तथा वाद पत्र में वादी द्वारा गलत पक्षकारों का संयोजन किया गया है, जिससे पक्षकारों के संयोजन व कुसंयोजन के आधार पर वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। भूमि विवादग्रस्त का वादी सह–खातेदार कृषक नहीं होने के कारण ना तो तकासमा/बंटवारा का वाद लाने का अधिकारी है, जब भूमि विवादग्रस्त का खातेदार नहीं होने से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाने का वादी को कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त वाद पत्र तुच्छ श्रेणी का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश 7 नियम 11 (डी) की श्रेणी में आता है, इसलिए उक्त

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर पश्चिम को पक्षकार बनाया है, लेकिन वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 19 को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत कोई सूचना पत्र नहीं दिया है, जबकि उक्त सूचना पत्र दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है तथा सूचना पत्र दिये बिना वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा उक्त वाद के साथ वादी द्वारा धारा 80 (2) सी.पी.सी. का पृथक से कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मान्य न्यायालय ने भी वादी को उक्त सूचना पत्र बाबत कोई छूट प्रदान नहीं की है, जिससे उक्त वाद पत्र आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रस्तुत करने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं किया सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस की।

प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53,88, राजस्थान भू0. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136, 140, 2021(1) RRT 246, 2014 (2) CCC 131, 2008(3) WLC 534, 2021(1) RRT 535, 2019 (1) RRT 553, 2021(3) CCC 261, 2005 RRD 391, 2021(3) CCC 256, 2001(2)591, AIR 1969 SC 227, 2007(1) WLC 409 SC पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस, पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अवलोकन किया गया। वादी रमेश चन्द पुत्र रामनारायण जाति खाती का जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी खातेदार कृषक नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में स्पष्ट उल्लेख है कि हाल जमाबंदी में खातेदार/काश्तकार का अंकन होना आवश्यक है और तकासमा/बंटवारा का वाद सह–खातेदारो के मध्य ही संधारण योग्य है। जैसा की वादी ने दौराने बहस अभिवचन किया है कि फोती नामान्तकरण में वादी की जाती/कास्ट सही है परन्तु हाल जमाबंदी में जाती का अंकन सहवहन से जाट दर्ज है। इसके लिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी ने अपने वाद में इससे सम्बंधित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही है। और ना ही किसी सक्षम न्यायालय में जाति दुरूस्त करवाने के साक्ष्य पेश किये है। दौराने वाद इससे सम्बंधित किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया है। जिससे जाहिर होता है कि वादी ने वाद स्वच्छ हाथो से भी प्रस्तुत नहीं किया है। जो धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। जिसके संबंध में Rajasthan high court 2008 (3) wlc page 264 चस्पा होता है।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर पश्चिम को पक्षकार बनाया है लेकिन वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 19 को धारा 80 सीपीसी के तहत कोई सुचना पत्र नहीं दिया है, जबकि उक्त सूचना पत्र दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है। इसके संबंध में आदेश 2021 (3) CIVIL COURT CASES 356 Rao Mashroor khan vs Sita Ram व 2005 RRD 391 अद्वितीय है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 16 को गलत पक्षकार संयोजन किया गया है इसके संबंध में आदेश 2021 (1) RRT 246 सीधे चस्पा होता है इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Third party cannot assail the decree of partition between co-khatedars.

उपरोक्त परिपेक्ष्य में वादी का वाद विधि वाधित (Barred by Law) होने के करण पोषणीय (Maintainable) नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता हे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर